अध्याय- VI

वित्तीय प्रबंधन

इस अध्याय में कुल व्यय में स्वास्थ्य देखभाल व्यय के प्रतिशत और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी, स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय औचित्य के बिन्दुओं पर बजटीय प्रावधानों के उपभोग के सन्दर्भ में स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण और इसकी पर्याप्तता पर चर्चा की गयी है।

लेखापरीक्षा उद्देश्यः क्या लोक स्वास्थ्य देखभाल के लिए वित्तपोषण पर्याप्त था?

अध्याय का सारांश

- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 की अवधि में नौ अनुदानों के अन्तर्गत स्वास्थ्य देखभाल पर ₹ 1,11,928.58 करोड़ व्यय किया गया हैं। इन अनुदानों के अन्तर्गत बजट प्रावधानों और व्यय में स्वास्थ्य क्षेत्र पर भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान भी शामिल है।
- वर्ष 2016-22 की अवधि में राजस्व बजट का 82 प्रतिशत उपभोग किया गया, जबकि पूंजीगत बजट का उपभोग 60 प्रतिशत रहा।
- स्वास्थ्य पर कुल बजटीय व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में परिकल्पित आठ प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम था और वर्ष 2016-22 की अवधि में यह 4.20 प्रतिशत और 5.41 प्रतिशत के मध्य रहा।
- उत्तर प्रदेश में शासकीय स्वास्थ्य देखभाल व्यय वर्ष 2016-22 की अवधि में प्रत्येक वर्ष 9.65 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ बढ़ा, जबकि, यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1.10 प्रतिशत से 1.30 प्रतिशत के मध्य ही रहा। स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय में 9.65 प्रतिशत की वर्तमान वृद्धि दर के साथ राज्य सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति- 2017 के अन्तर्गत 2025 तक 2.5 प्रतिशत के लक्ष्य के समीप भी नहीं पहुंच पायेगी।
- स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय का एक बृहद भाग (22 प्रतिशत) मानक मद- '42 अन्य व्यय' के अंतर्गत अंकित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए अंतरित धनराशि भी शामिल है। जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

6.1 परिचय

राज्य का चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उत्तरदायी है, जबकि तृतीयक स्तर की सुविधाएं चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन हैं। स्वास्थ्य केन्द्रों/चिकित्सालयों/राजकीय मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए राज्य सरकार, राज्य बजट में नौ अनुदानों के अंतर्गत बजटीय प्रावधान करती है, जैसा कि **तालिका 6.1** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

तालिका 6.1: अनुदानों का विवरण जिनसे धनराशि आवंटित किया जाता है।

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान का विवरण	अनुदान/ मुख्य शीर्ष
1	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	इन अनुदानों के अन्तर्गत संचालित सभी मुख्य शीर्ष
2	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)	
3	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	
4	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	
5	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	
6	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	
7	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	मुख्य शीर्ष 2210 एवं 4210
8	81	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति कल्याण)	मुख्य शीर्ष 2211 एवं 4211
9	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति कल्याण हेतु विशेष घटक योजना)	मुख्य शीर्ष 2210, 2211, 4210 एवं 4211

(स्रोतः उत्तर प्रदेश बजट अभिलेख और विनियोग लेखे)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा अनुदान संख्या- 32 (चिकित्सा विभाग-एलोपैथिक चिकित्सा), अनुदान संख्या- 35 (चिकित्सा विभाग-परिवार कल्याण) और अनुदान संख्या- 31 (चिकित्सा विभाग-चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण) के अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र को अधिकतम धनराशि आवंटित किया गया था। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी राज्य बीमा योजना से स्वास्थ्य देखभाल के लिए अनुदान संख्या- 76 (श्रम विभाग) के अन्तर्गत निधि प्रदान की गयी थी और अनुदान संख्या- 81 एवं 83 के अन्तर्गत क्रमशः अनुसूचित जातियों के लिए जनजातीय उप योजना और विशेष घटक योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानों को भी बढ़ाया गया था।

6.2 बजट प्रावधान की तुलना में व्यय

वर्ष 2016-22 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र[1] में बजट प्रावधान और व्यय का विवरण **तालिका 6.2** और **चार्ट 6.1** में दिया गया है।

तालिका 6.2: वर्ष 2016-22 की अवधि में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत में)
2016-17	18797.94	14652.31	4145.63	22
2017-18	18610.78	15860.89	2749.89	15
2018-19	22069.27	18091.30	3977.97	18
2019-20	23868.60	18671.02	5197.58	22
2020-21	27025.46	21429.82	5595.64	21
2021-22	33238.06	23223.24	10014.82	30
योग	**143610.11**	**111928.58**	**31681.53**	**22**

(स्रोतः उत्तर प्रदेश के विनियोग लेखे)

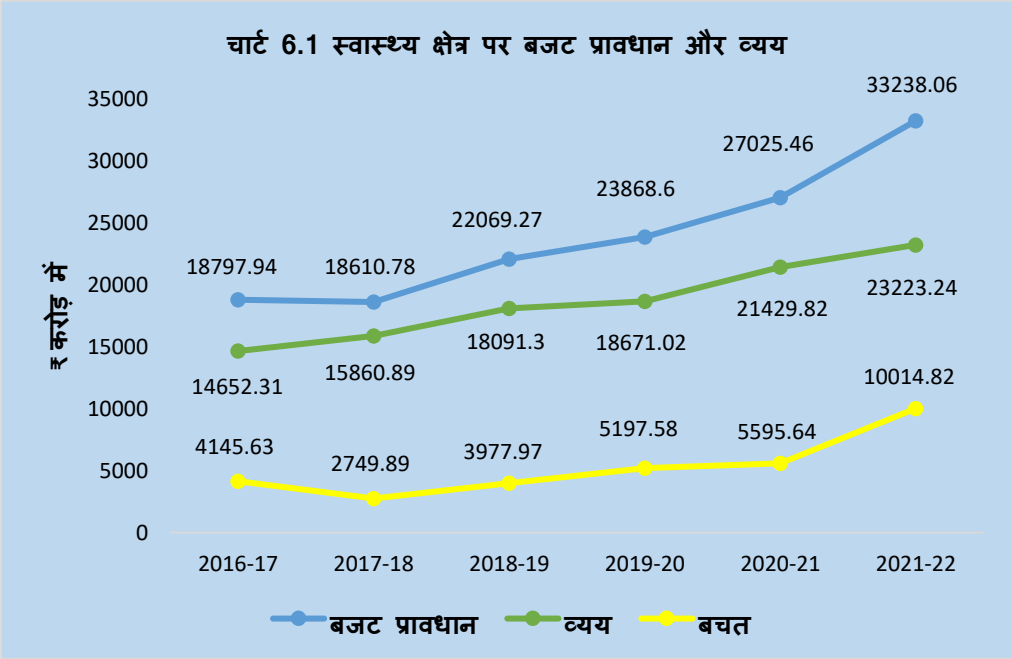

(स्रोतः उत्तर प्रदेश के विनियोग लेखे)

उपरोक्त **तालिका 6.2** से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर ₹ 1,43,610.11 करोड़ के बजट प्रावधान के विपरीत वर्ष 2016-22 की अवधि में ₹ 1,11,928.58 करोड़ का व्यय किया गया था। नौ अनुदानों के अन्तर्गत अनुदानवार बजट प्रावधान और व्यय का विवरण **परिशिष्ट- 6.1** में दिया गया है। अग्रेतर, यह भी पाया गया कि इन नौ अनुदानों के अन्तर्गत धनराशियों का उपभोग 51 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के मध्य किया गया था, जिसके परिणाम

[1] स्थानीय निकायों को छोड़कर।

स्वरूप बजट प्रावधान का कुल 78 प्रतिशत उपभोग हुआ था। धनराशियों के उपभोग में बृहद कमी अनुदान संख्या- 81 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति कल्याण) के साथ ही अनुदान संख्या- 36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) और अनुदान संख्या- 33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक और यूनानी) में पाया गया, जिनमें क्रमशः 49 प्रतिशत, 34 प्रतिशत और 28 प्रतिशत धनराशि वर्ष 2016-22 की अवधि में अनुपभोगित रहा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की अवधि में, ₹ 10,014.82 करोड़ की बचत के अन्तर्गत बृहद निर्माण कार्यों (₹ 4,439.95 करोड़); वेतन, मजदूरी और अन्य स्थापना व्यय (₹ 3,480.85 करोड़) एवं औषधियों और उपकरणों (₹ 428.26 करोड़) की बचत सम्मिलित है। जैसा कि **प्रस्तर 5.4.1** और **5.4.2** में चर्चा किया गया है, लोक स्वास्थ्य सेवा हेतु बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्यों में विलम्ब हुआ, जिससे इन परियोजनाओं की धनराशि व्यय क्षमता प्रभावित हुई और परिणामस्वरूप बजटीय प्रावधानों की बचत हुई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन, औषधियों और उपकरणों एवं बुनियादी ढांचे की कमी है, जैसा कि इस रिपोर्ट के अध्याय 2, 4 और 5 के अन्तर्गत चर्चा किया गया है, बजटीय प्रावधानों से बचत का समुचित उपभोग महत्वपूर्ण चिकित्सकीय सुविधाएँ प्रदान करने के साथ ही बुनियादी ढांचे के संवर्धन, चिकित्सालय के रखरखाव/ मरम्मत, औषधियों और कन्जुमेबल्स का क्रय, उपकरणों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में मानव संसाधनों की तैनाती के लिए किया जा सकता था।

अनुस्मारकों के बावजूद शासन का उत्तर अगस्त 2024 तक अप्राप्त था।

राजस्व एवं पूंजीगत व्यय

वर्ष 2016-22 की अवधि में स्वास्थ्य क्षेत्र पर कुल व्यय ₹ 1,11,928.58 करोड़ में से ₹ 97,289.92 करोड़ (87 प्रतिशत) राजस्व व्यय था और ₹ 14,638.66 करोड़ (13 प्रतिशत) पूंजीगत व्यय था, जैसा कि **चार्ट 6.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 6.2: राजस्व और पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत व्यय

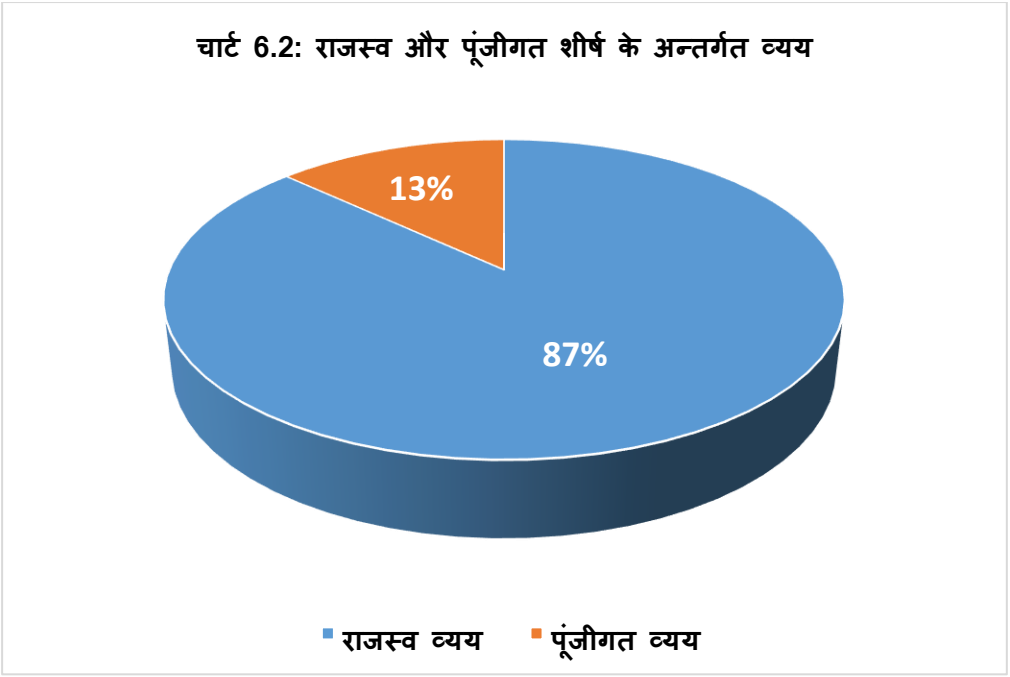

(स्रोतः उत्तर प्रदेश के विनियोग लेखे)

अग्रेतर, लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2016-22 की अवधि में राजस्व और पूंजीगत बजट के अन्तर्गत व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया, जैसा कि **तालिका 6.3** में उल्लिखित है।

तालिका 6.3: वर्ष 2016-22 की अवधि में राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के अन्तर्गत बजट प्रावधान के सापेक्ष व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान (राजस्व)	राजस्व व्यय	राजस्व बजट का उपभोग प्रतिशत	बजट प्रावधान (पूंजीगत)	पूंजीगत व्यय	पूंजीगत बजट का उपभोग प्रतिशत
1	2	3	4 = (3/2) X 100	5	6	7 = (6/5) X 100
2016-17	14940.77	11823.48	79	3857.17	2828.83	73
2017-18	16342.24	13877.56	85	2268.54	1983.33	87
2018-19	19300.59	15866.73	82	2768.68	2224.57	80
2019-20	20337.63	16388.85	81	3530.97	2282.17	65
2020-21	23275.96	19401.74	83	3749.50	2028.08	54
2021-22	24968.47	19931.56	80	8269.59	3291.68	40
योग	**119165.66**	**97289.92**	**82**	**24444.45**	**14638.66**	**60**

(स्रोतः उत्तर प्रदेश के विनियोग लेखे)

उपरोक्त **तालिका 6.3** से स्पष्ट है कि राज्य सरकार वर्ष 2016-22 की अवधि में 82 प्रतिशत राजस्व बजट का उपभोग कर सकी, जबकि उसी अवधि में पूंजीगत बजट का उपभोग 60 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 की अवधि में पूंजीगत बजट का उपभोग प्रतिशत लगातार घट रहा था। इस प्रकार, विभाग मानव संसाधन एवं औषधियों और उपकरणों के क्रय के लिए राजस्व बजट तथा निर्माण कार्यों (जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और मेडिकल कॉलेजों में) एवं उपकरणों के क्रय के लिए पूंजीगत बजट का उपभोग नहीं कर सका, जो यह दर्शाता है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में बजटीय धनराशियों के उपभोग करने की क्षमता नहीं थी।

अनुस्मारकों के बावजूद शासन का उत्तर अगस्त 2024 तक अप्राप्त था।

6.2.1 धनराशियों का उपभोग न किया जाना

राज्य सरकार ने अक्टूबर 2017 में औषधियों, कन्जुमेबल्स और उपकरणों की केन्द्रीयकृत क्रय और आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की। राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 में निर्धारित वित्तीय व्यवस्था के अनुसार, सम्बन्धित विभागों को औषधियों और उपकरणों के क्रय के लिए उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड को धनराशि प्रदान किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-22 की अवधि में औषधियों और उपकरणों के क्रय के लिए उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड को ₹ 3,385.56 करोड़ प्रदान किया गया था। वर्ष 2018-22 की अवधि में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्य सरकार की अन्य क्रय (राज्य निधि से) के लिए उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्राप्तियों और धनराशियों के उपभोग की स्थिति **तालिका 6.4** में दी गयी है।

तालिका 6.4: उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड को धनराशि की प्राप्तियां और उपभोग

(₹ करोड़ में)

विवरण	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निधि (2018-19)		राज्य निधि (2018-19)		कुल योग
	औषधियां	उपकरण	औषधियां	उपकरण	
प्रारंभिक शेष	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
प्राप्त निधि*	320.00	179.50	122.02	13.82	635.34
कुल उपलब्ध निधि	320.00	179.50	122.02	13.82	635.34

विवरण	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निधि (2018-19)		राज्य निधि (2018-19)		कुल योग
	औषधियां	उपकरण	औषधियां	उपकरण	
उपलब्ध निधि के सापेक्ष व्यय (प्रतिशत)	9.65 (3.02%)	5.00 (2.79%)	59.67 (48.90%)	13.21 (95.59%)	87.53 (13.78%)
समर्पण	186.83	95.00	0.00	0.00	281.83
अंतिम शेष	**123.52**	**79.50**	**62.35**	**0.61**	**265.98**
विवरण	**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निधि (2019-20)**		**राज्य निधि (2019-20)**		**कुल योग**
	औषधियां	**उपकरण**	**औषधियां**	**उपकरण**	
प्रारंभिक शेष	**123.52**	**79.50**	**62.35**	**0.61**	**265.98**
प्राप्त निधि*	0.00	24.92	399.30	17.53	441.75
कुल उपलब्ध निधि	123.52	104.42	461.65	18.14	707.73
उपलब्ध निधि के सापेक्ष व्यय (प्रतिशत)	91.83 (74.34%)	80.97 (77.54%)	257.23 (55.72%)	0.00 (0%)	430.03 (60.76%)
समर्पण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अंतिम शेष	**31.70**	**23.45**	**204.41**	**18.14**	**277.70**
विवरण	**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निधि (2020-21)**		**राज्य निधि (2020-21)**		**कुल योग**
	औषधियां	**उपकरण**	**औषधियां**	**उपकरण**	
प्रारंभिक शेष	**31.70**	**23.45**	**204.41**	**18.14**	**277.70**
प्राप्त निधि*	63.61	93.00	1013.42	72.72	1242.75
कुल उपलब्ध निधि	95.31	116.45	1217.83	90.86	1520.45
उपलब्ध निधि के सापेक्ष व्यय (प्रतिशत)	49.57 (52.01%)	26.31 (22.59%)	666.43 (54.72%)	2.10 (2.31%)	744.41 (48.96%)
समर्पण	0.00	0.00	270.63	16.90	287.53
अंतिम शेष	**45.74**	**90.14**	**280.78**	**71.86**	**488.52**
विवरण	**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निधि (2021-22)**		**राज्य निधि (2021-22)**		**कुल योग**
	औषधियां	**उपकरण**	**औषधियां**	**उपकरण**	
प्रारंभिक शेष	**45.74**	**90.14**	**280.78**	**71.86**	**488.52**
प्राप्त निधि*	150.00	10.71	746.87	158.14	1065.72
कुल उपलब्ध निधि	195.74	100.85	1027.65	230.00	1554.24
उपलब्ध निधि के सापेक्ष व्यय (प्रतिशत)	89.21 (45.58%)	32.66 (32.38%)	754.91 (73.45%)	19.88 (8.64%)	896.66 (57.69%)
समर्पण	0.00	0.00	35.59	24.00	59.59

विवरण	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निधि (2021-22)		राज्य निधि (2021-22)		कुल योग
	औषधियां	उपकरण	औषधियां	उपकरण	
अंतिम शेष	**106.53**	**68.19**	**237.15**	**186.12**	**597.99**

(स्रोतः उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड) * राज्य निधि के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड को बजट आवंटन।

उपरोक्त **तालिका 6.4** से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 की अवधि में उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास उपलब्ध धनराशि का उपभोग 13.78 प्रतिशत से 60.76 प्रतिशत के मध्य रहा। वर्ष 2018-22 की अवधि में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये ₹ 841.74 करोड़ में से उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ₹ 385.20 करोड़ (45.76 प्रतिशत) की औषधियां और उपकरण क्रय किये गये। राज्य निधि के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने औषधियों और उपकरणों के क्रय के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि ₹ 2,543.82 करोड़ में से धनराशि ₹ 1,773.43 करोड़ (69.72 प्रतिशत) का उपभोग किया। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्य निधि के ₹ 597.99 करोड़ अन्तिम अवशेष के रूप में रखे। इस प्रकार, धनराशि का उपभोग उपलब्धता से काफी कम था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-19 की अवधि में उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अन्य वर्षों (वर्ष 2019-22) की तुलना में कम व्यय का मुख्य कारण वर्ष 2018-19 में महानिदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों में निर्धारित किये गये दर अनुबंधों पर औषधियों और उपकरणों का क्रय था, जब तक कि उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूरी तरह से क्रियाशील होने तक चिकित्सालयों में औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। हालाँकि, बाद के वर्षों (वर्ष 2019-22) में भी, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड क्रय के लिए उपलब्ध कराये गये धनराशि का उपभोग नहीं कर सका, जिससे चिकित्सालयों में औषधियों, कन्जुमेबल्स और उपकरणों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसा कि इस रिपोर्ट के **अध्याय- IV** में चर्चा किया गया है।

अनुस्मारकों के बावजूद शासन का उत्तर अगस्त 2024 तक अप्राप्त था।

6.2.2 चिकित्सा स्वास्थ्य पर व्यय के प्रमुख घटक

शासकीय लेखों में, मानक मद विनियोग की प्राथमिक इकाइयाँ हैं, जो वेतन, मजदूरी, कार्यालय व्यय, सहायता अनुदान आदि जैसे व्यय की आर्थिक प्रकृति

को दर्शाती हैं। लेखापरीक्षा ने स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय को विभिन्न घटकों में विभाजित करने के लिए विभिन्न मानक मद को समूहीकृत किया, जैसे वेतन और मजदूरी[2], बुनियादी ढाँचा[3], औषधियां और उपकरण[4] और मानक मद- 42 (अन्य व्यय) के अन्तर्गत अंकित अन्य व्यय इत्यादि। वर्ष 2016-22 की अवधि में स्वास्थ्य देखभाल पर राज्य सरकार द्वारा घटकवार किये गये व्यय[5] को **चार्ट 6.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 6.3: वर्ष 2016-22 की अवधि में स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय के घटक

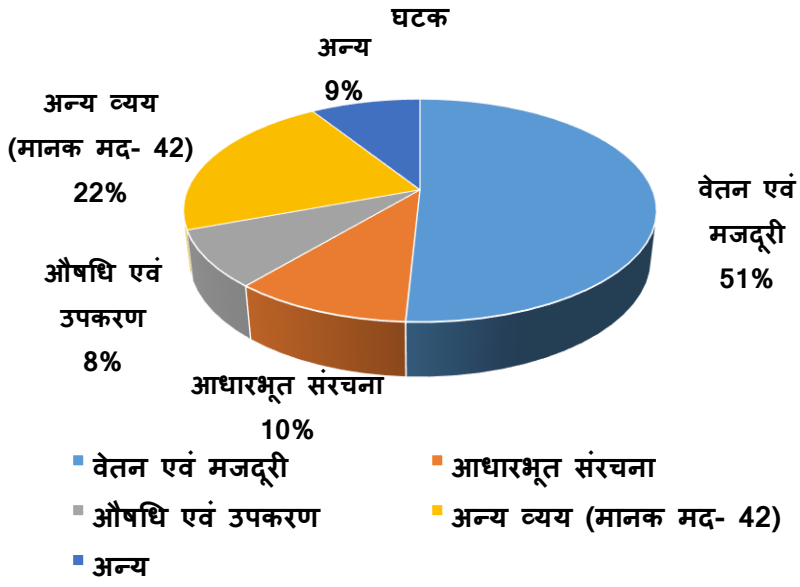

(स्रोतः कोषवाणी, उत्तर प्रदेश)

जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2016-22 की अवधि में स्वास्थ्य देखभाल पर हुए व्यय का आधे से अधिक (51 प्रतिशत) वेतन और मजदूरी पर व्यय किया गया था। बुनियादी ढांचे तथा औषधियों एवं उपकरणों पर व्यय क्रमशः 10 प्रतिशत और आठ प्रतिशत था। तथापि, ₹ 22,926.97 करोड़ (22 प्रतिशत) का पर्याप्त व्यय मानक मद- 42 (अन्य व्यय) के अन्तर्गत अंकित किया गया था, जो अवशिष्ट मदों से संबंधित है और इसमें विवेकाधीन निधि से पारिश्रमिक और पुरस्कार सम्बन्धी व्यय सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अन्य

---

2 मानक मद: 01-वेतन, 02-मजदूरी, 03-महंगाई भत्ता, 04-यात्रा भत्ता, 05-स्थानांतरण यात्रा व्यय, 06-अन्य भत्ते, 07-मानदेय, 16-पेशेवर और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान, 31-सहायता अनुदान (वेतन), 38-अंतरिम राहत, 44-प्रशिक्षण के लिए यात्रा और अन्य संबंधित व्यय, 45-छुट्टी यात्रा व्यय, 49-चिकित्सा व्यय, 50-महंगाई वेतन, 52-संशोधित वेतन बकाया, 53- संशोधित वेतन बकाया (राज्य सहायता प्राप्त), 55-मकान किराया भत्ता, 56-शहर प्रतिपूरक भत्ता, 57-गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ते एवं 58-आउटसोर्स सेवाओं के लिए भुगतान।

3 मानक मद 24-बृहद निर्माण कार्य और 25-लघु निर्माण कार्य।

4 मानक मद 26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र, 39-औषधियां और रसायन, 40-चिकित्सालयों के लिए आवश्यक साज-सज्जा।

5 छः अनुदानों (अनुदान संख्या 31, 32, 33, 34, 35 और 36) के अंतर्गत सम्पूर्ण व्यय स्वास्थ्य देखभाल के लिये था।

व्यय (मानक मद- 42) के अन्तर्गत ₹ 22,926.97 करोड़ में से, ₹ 20,507.99 करोड़ (89 प्रतिशत) अनुदान संख्या- 35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) से सम्बन्धित था, जो कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य सोसायटी को ₹ 18,785.60 करोड़ (92 प्रतिशत) के अंतरण से सम्बन्धित है।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा द्वारा वेतन और मजदूरी, बुनियादी ढांचे, औषधियों एवं उपकरणों और अन्य के अंतर्गत व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया जैसा कि **चार्ट 6.4** में दिया गया है।

चार्ट 6.4: 2016-22 की अवधि में स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय के घटकों की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

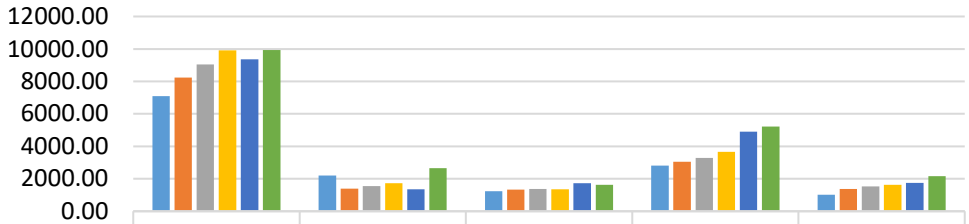

	वेतन एवं मजदूरी	आधारभूत संरचना	औषधि एवं उपकरण	अन्य व्यय (मानक मद- 42)	अन्य
2016-17	7089.36	2202.87	1233.97	2805.69	1020.94
2017-18	8239.20	1388.83	1328.07	3048.70	1365.13
2018-19	9045.65	1553.09	1380.41	3287.99	1528.88
2019-20	9921.40	1718.03	1351.98	3668.24	1626.16
2020-21	9368.01	1353.58	1724.67	4894.17	1756.00
2021-22	9927.91	2646.20	1630.37	5222.18	2161.36

(स्रोतः कोषवाणी, उत्तर प्रदेश)

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2016-22 की अवधि में, वेतन एवं मजदूरी (वर्ष 2020-21 को छोड़कर) और अन्य व्यय (मानक मद- 42) के अन्तर्गत वृद्धि की प्रवृत्ति थी, जबकि अन्य घटकों जैसे औषधियों और उपकरणों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति थी। तथापि, मानक मद- 42 के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी को अंतरित धनराशि से औषधियों और उपकरणों पर भी व्यय किया गया था, जो कि समुचित मानक मद के अन्तर्गत परिलक्षित नहीं हुआ था। मानक मद- 42 के अन्तर्गत व्यय का ज्यादा दर्शाया जाना राज्य सरकार के बजट और लेखों में पारदर्शिता को प्रभावित करता है, जिसका उल्लेख पहले भी

राज्य वित्त लेखापरीक्षा[6] प्रतिवेदन में किया जा चुका है। राज्य सरकार को मानक मद- 42 के अन्तर्गत बजट बनाने और व्यय के अंकन की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए, विशेष रूप से राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी को धनराशि के अंतरण के सम्बन्ध में जिससे कि भविष्य में व्यय को बहुप्रयोजित मानक मद 42- 'अन्य व्यय' के बजाय समुचित शीर्ष के अन्तर्गत अंकित किया जाये।

6.2.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निधि

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, विशेष रूप से आबादी के गरीब और कमजोर वर्गों को सुलभ, सस्ती, प्रभावी और विश्वसनीय स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया था। यह मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक रोगों आदि जैसी महत्वपूर्ण चिकित्सकीय सेवाओं को मजबूत करने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निधि शेयरिंग पैटर्न, भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 60:40 है।

वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा राज्य स्वास्थ्य सोसायटी को अंतरित धनराशि एवं व्यय की स्थिति **तालिका 6.5** में दी गयी है।

तालिका 6.5: वर्ष 2016-22 की अवधि में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निधि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त निधि		कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अन्तिम शेष	उपलब्ध निधि के सापेक्ष अन्तिम शेष का प्रतिशत
		केन्द्र सरकार निधि	राज्य सरकार निधि				
2016-17	3056.80	1671.52	1728.34	6456.66	3184.99	3271.67	50.67
2017-18	3271.67	1827.49	1941.77	7040.93	4374.36	2666.57	37.87
2018-19	2666.57	1915.53	1817.33	6399.43	4564.93	1834.50	28.67
2019-20	1834.50	2456.30	2260.59	6551.39	5169.55	1381.84	21.09
2020-21	1381.84	3956.44	2436.46	7774.74	5772.21	2002.53	25.76
2021-22	2002.53	2355.97	3260.24	7618.74	5902.10	1716.64	22.53
योग		**14183.25**	**13444.73**		**28968.14**		

(स्रोतः राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश)

[6] उत्तर प्रदेश सरकार हेतु 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट का प्रस्तर 4.10 और 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट का प्रस्तर 4.9।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2016-22 की अवधि में, राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए ₹ 30,684.78 करोड़[7] की उपलब्धता के सापेक्ष सरकार ₹ 28,968.14 करोड़ (94.41 प्रतिशत) का उपभोग कर सकी। तथापि, वर्ष 2016-22 की अवधि में उपलब्ध निधियों का एक प्रमुख भाग, 21.09 प्रतिशत से 50.67 प्रतिशत के मध्य अप्रयुक्त रहा। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई ने मार्च 2023 में राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने में विलम्ब को धनराशि के कम उपभोग के लिए जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रमुख योजनाओं के लिए बजट प्रावधान और व्यय **तालिका 6.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.6: वर्ष 2016-22 की अवधि में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रमुख योजनाओं के लिए बजट प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 तक का कुल बजट	वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 तक कुल व्यय	कुल व्यय का बजट में प्रतिशत	प्रतिशत उपभोग						वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 तक के लिए स्पार्कलाइन
				2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
जननी सुरक्षा योजना	3099.94	2639.78	85	87	94	89	96	86	61	
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	127.89	40.15	31	56	21	58	26	20	23	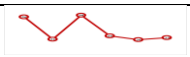
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम	147.52	49.17	33	21	20	50	79	33	03	
राष्ट्रीय अंधेपन एवं दृष्टि हानि नियंत्रण कार्यक्रम	455.44	169.62	37	73	44	45	43	21	24	
बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	72.85	35.91	49	34	18	73	112	37	07	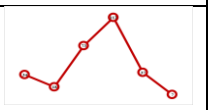

(स्रोतः राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा रिपोर्ट के **अध्याय 7** में किया गया है।

[7] प्रारम्भिक शेष (2016-17): ₹3056.80 करोड़ + भारत सरकार निधि (2016-22): ₹14,183.25 करोड़ + उत्तर प्रदेश सरकार निधि (2016-22): ₹13,444.73 करोड़ = योगः ₹30,684.78 करोड़।

अनुस्मारकों के बावजूद शासन का उत्तर अगस्त 2024 तक अप्राप्त था।

6.3 स्वास्थ्य देखभाल निधि की पर्याप्तता

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 समयबद्ध तरीके से लोक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि का संभावित लक्ष्य प्रस्तावित करता है। इसमें परिकल्पना की गयी है कि राज्यों को संसाधन आवंटन राज्य विकास संकेतकों, व्यय क्षमता और वित्तीय संकेतकों से जुड़ा होगा। हालाँकि, उत्तर प्रदेश में, लोक स्वास्थ्य पर व्यय, नीति के अनुरूप नहीं था, जैसा कि बाद के प्रस्तर में चर्चा की गयी हैः

6.3.1 स्वास्थ्य पर अपर्याप्त बजटीय व्यय

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 स्वास्थ्य की स्थिति और योजना का प्रभाव, स्वास्थ्य तंत्र की दक्षता और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर देता है। इन लक्ष्यों का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में नीतिगत दबाव द्वारा सतत विकास को प्राप्त करना है। स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए स्वास्थ्य वित्त पर चर्चा करते हुए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में 2020 तक राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य पर व्यय को उनके बजट के आठ प्रतिशत से अधिक बढ़ाने की परिकल्पना की गयी है।

वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 की अवधि में उत्तर प्रदेश में कुल बजटीय व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय की स्थिति **तालिका 6.7** में दी गयी है।

तालिका 6.7: स्वास्थ्य देखभाल पर बजटीय व्यय की तुलना में कुल व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजटीय व्यय	राजकीय स्वास्थ्य देखभाल व्यय	कुल बजटीय व्यय का प्रतिशत
2016-17	349232.60	14652.31	4.20
2017-18	334876.62	15860.89	4.74
2018-19	409784.50	18091.30	4.41
2019-20	399426.75	18671.02	4.67
2020-21	396023.70	21429.82	5.41
2021-22	449065.47	23223.24	5.17
योग	**2338409.64**	**111928.58**	**4.79**

(स्रोतः उत्तर प्रदेश के विनियोग लेखे)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल बजटीय व्यय की तुलना में शासकीय स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय का प्रतिशत राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में परिकल्पित लक्ष्य से काफी कम था। वर्ष 2016-22 की अवधि में यह 4.20 प्रतिशत और 5.41 प्रतिशत के मध्य रहा था, यद्यपि कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य

नीति, 2017 के अनुसार वर्ष 2020 तक आठ प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया जाना था।

अग्रेतर, पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य द्वारा स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय वर्ष 2022 तक अपने बजट का आठ प्रतिशत से अधिक होना चाहिए था। तथापि, वर्ष 2021-22 की अवधि में राज्य सरकार का स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय 5.17 प्रतिशत था। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के साथ-साथ पंद्रहवें वित्त आयोग (वर्ष 2021-26 तक) की अनुशंसाओं के अनुरूप स्वास्थ्य देखभाल पर लक्षित व्यय को प्राप्त नहीं कर पायी।

अनुस्मारकों के बावजूद शासन का उत्तर अगस्त 2024 तक अप्राप्त था।

6.3.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्वास्थ्य देखभाल व्यय का अपर्याप्त हिस्सा

स्वास्थ्य वित्त के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर मौजूदा व्यय को 1.15 प्रतिशत से बढ़ाकर 2025 तक 2.5 प्रतिशत करने की परिकल्पना की गयी है।

अग्रेतर, पंद्रहवें वित्त आयोग (वर्ष 2021-26 तक) ने अनुशंसा की है कि केंद्र और राज्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय को सतत रूप से बढ़ाकर 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत तक पहुंचाया जाना चाहिए।

वर्ष 2016-22 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर व्यय को, उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में **तालिका 6.8** और **चार्ट 6.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.8: राज्य सरकार का स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल राज्य घरेलू उत्पाद उत्तर प्रदेश	राजकीय स्वास्थ्य देखभाल व्यय	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
2016-17	1288700	14652.31	1.14
2017-18	1439925	15860.89	1.10
2018-19	1582180	18091.30	1.14
2019-20	1700273	18671.02	1.10
2020-21	1648567	21429.82	1.30
2021-22	1863221	23223.24	1.25

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार)

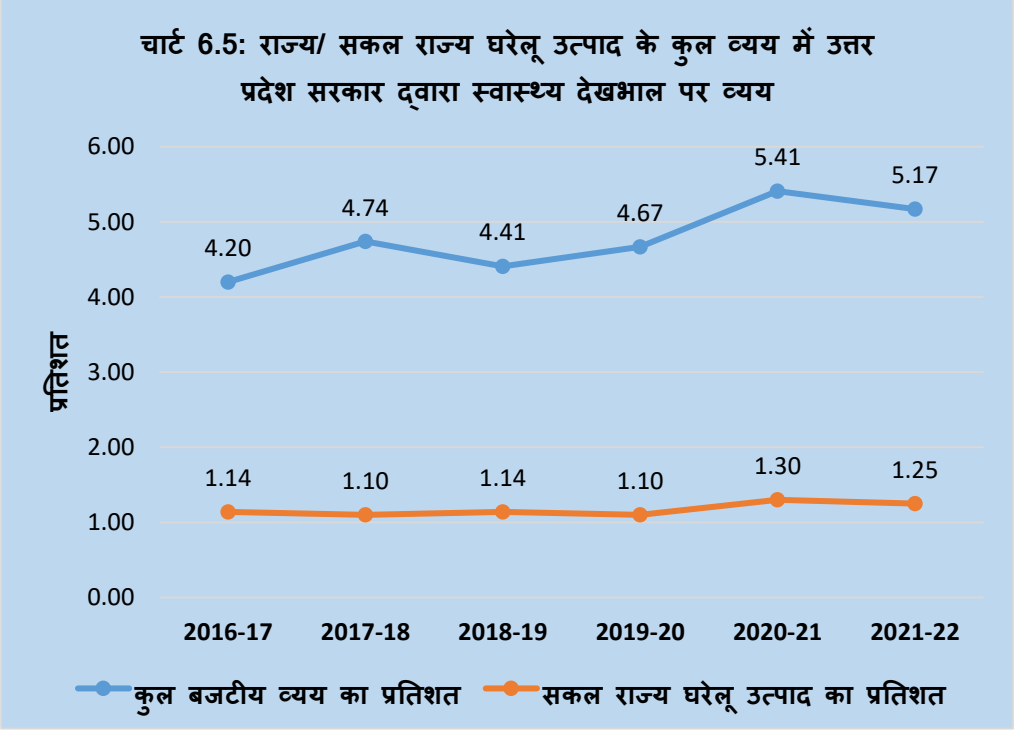

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार)

वर्ष 2016-22 की अवधि में प्रत्येक वर्ष शासकीय स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय में वृद्धि हुई है, तथापि, वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 की अवधि में स्वास्थ्य देखभाल पर कुल व्यय प्रतिशत के साथ-साथ सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय 1.10 प्रतिशत और 1.30 प्रतिशत के मध्य रहा। अग्रेतर, राज्य सरकार के स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 की अवधि में 9.65 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रही। इस वृद्धि दर के साथ, वर्ष 2025-26 की अवधि में स्वास्थ्य देखभाल पर शासकीय व्यय ₹ 33,570 करोड़ होगा। तथापि, राज्य सरकार के मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति 2022 में दर्शाए गये ₹ 28,01,228 करोड़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वर्ष 2025-26 की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत के स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय की परिकल्पित मात्रा ₹ 70,030 करोड़ गणना की गयी है। इस प्रकार, स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय 9.65 प्रतिशत की वर्तमान वृद्धि दर के साथ राज्य सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के लक्ष्य के समीप भी नहीं पहुँच पाएगी।

अनुस्मारकों के बावजूद शासन का उत्तर अगस्त 2024 तक अप्राप्त था।

6.4 वित्तीय औचित्य का पालन न करना

उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्तीय औचित्य का पालन न किये जाने के कई उदाहरण थे, जिनकी चर्चा आगे के प्रस्तरों में की गयी है।

6.4.1 व्यपगत बजट

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 174 के अनुसार अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन को वित्तीय अनियमितता माना गया है।

- अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 2020-21 की अवधि में, विगत वर्षों के दायित्वों के निस्तारण के लिए अनुदान संख्या- 32 में मानक मद- 39 (औषधि और रसायन) में ₹ 27 करोड़ का पुनर्विनियोजन मार्च 2021 में किया गया था और इन दायित्वों के भुगतान के लिए मार्च 2021 में तीन बार में ₹ 15.22 करोड़ अवमुक्त किये गये थे। शेष धनराशि (₹ 11.78 करोड़) अवमुक्त नहीं किया गया क्योंकि सम्बन्धित दावों के भुगतान के लिए विशेष लेखापरीक्षा या व्यय समीक्षा की जानी थी। इस प्रकार, ₹ 11.78 करोड़ की धनराशि का पुनर्विनियोजन अनावश्यक था।
- अग्रेतर, लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड को अक्टूबर 2020 में कोविड-19 रैपिड एंटीजन किट और वीटीएम किट के क्रय के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता थी। जिसके क्रम में, शासन द्वारा दिसंबर 2020 मानक मद- 39 (औषधि और रसायन) के अंतर्गत कोविड-19 रैपिड एंटीजन किट और वीटीएम किट के क्रय के लिए धनराशि का पुनर्विनियोजन करके ₹ 250.00 करोड़ (अनुदान संख्या 32: ₹ 145.00 करोड़ और अनुदान संख्या 36: ₹ 105.00 करोड़) स्वीकृत किया गया। यह धनराशि उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड को महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा दिसंबर 2020 में प्रदान किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मार्च 2021 में मानक मद- 39 (औषधि और रसायन) के अंतर्गत ₹ 247.96 करोड़ समर्पित कर दिए, जो कि पुनर्विनियोजित धनराशि का 99 प्रतिशत था। इस प्रकार, आवश्यकताओं का आकलन किये बिना अतिरिक्त धनराशि का पुनर्विनियोजन करने से न केवल बजट व्यपगत हुआ, बल्कि बजट नियंत्रण प्राधिकरण बजट मैनुअल में परिकल्पित उचित विवेक का प्रयोग करने में भी विफल रहा।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग द्वारा फरवरी 2023 में बताया गया कि वर्ष 2020-21 कोविड-19 महामारी का वर्ष था, जो कि अनिश्चितता का दौर था और रिपोर्ट तैयार करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

6.4.2 राजकोष से अग्रिम का अनियमित आहरण

वित्तीय नियमों[8] में प्रावधान है कि कोषागार से कोई भी धनराशि तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि उसका तात्कालिक उपयोग आवश्यक न हो। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश अक्टूबर 1983 में यह भी प्रावधान है कि कोषागार से आहरित की गयी धनराशि का उपभोग वित्तीय वर्ष के अंत तक कर लिया जाएगा।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड को शासकीय बजट के अन्तर्गत औषधियों और उपकरणों के क्रय के लिए प्रदान की गयी धनराशि के आहरण के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी का कोड आवंटित किया गया था। तथापि, राज्य सरकार ने औषधियों और उपकरणों के क्रय के लिए उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड को अग्रिम धनराशि स्वीकृत किया, जो कि कोषागार से आहरित किया गया था, लेकिन वर्ष के अंत तक उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इसका पूरा उपभोग नहीं किया गया। जिसके कारण ₹ 62.96 करोड़ (वर्ष 2018-19 में), ₹ 222.55 करोड़ (वर्ष 2019-20 में), ₹ 352.64 करोड़ (वर्ष 2020-21 में) एवं ₹ 423.27 करोड़ (वर्ष 2021-22 में) की अनुपभोगित धनराशि अवशेष रही, जिसे आगामी वर्ष में उपभोग करने के लिए उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड के बैंक खातों में रखा गया था। इस प्रकार उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड को बिना किसी तात्कालिक आवश्यकता के धनराशि का अंतरण, राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक विभागों को मार्च 2018 में जारी निर्देशों का उल्लंघन था, जिसमें समेकित निधि से आहरण के बाद धनराशि को व्यक्तिगत खाता में रखने की प्रथा को रोकने के लिए कहा गया था।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड के आरंभिक वर्ष थे। वर्ष 2020-21 कोविड-19 आपदा का वर्ष था और जिसमें

[8] वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-5 (भाग-1) का पैराग्राफ 162।

केवल विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता थी। रिपोर्ट तैयार करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

तथ्य यह है कि, वर्ष के अंत में कोषागार से धनराशि आहरित कर उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड के बैंक खाते में रखना वित्तीय नियमों के अनुरूप नहीं था।

संक्षेप में, स्वास्थ्य क्षेत्र पर शासकीय वित्त की स्थिति राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के अनुरूप नहीं था। राजस्व और पूंजीगत शीर्ष दोनों के अन्तर्गत व्यय की क्षमता में कमी के कारण आवंटित धनराशि का व्यय नहीं हो पाया। मानक मद 42- अन्य व्यय के अन्तर्गत पर्याप्त व्यय अंकित किया गया, जिससे बजट और स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय के लेखों में पारदर्शिता निष्प्रभावी हुई।

अनुशंसाएं:

राज्य सरकार को चाहिए किः

22. ***स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय को बजट के आठ प्रतिशत से अधिक और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 की अनुशंसाओं का अनुपालन करे;***

23. ***धन की अवशोषण क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली बाधाओं/कारकों की पहचान करने और उनके समाधान के लिए ठोस प्रयास करने के लिए राज्य में स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र की समीक्षा करे;***

24. ***मानक मद- 42 के विवेकहीन उपयोग की समीक्षा करे और वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता के लिए भविष्य में सभी व्यय समुचित मानक मद के अन्तर्गत अंकित किया जाना सुनिश्चित करे।***